मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई, 1999 (आषाढ़ 24,1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(i) वित्त लेखे वर्ष 1997-98,
(ii) विनियोग लेखे वर्ष 1997-98,
(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष का क्रमांक 2 (वाणिज्यिक);
(iv) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष क्रमांक 1 (राजस्व प्राप्तियां) ; तथा
(v) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष क्रमांक 3 (सिविल) एवं क्रमांक 4 (सिविल) ; एवं

(ख) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-1-99-तेईस-यो-2, दिनांक 30 मार्च, 1999

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री-

(क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर का परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री-

(क) मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 31 की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 314-मा-अ-99, दिनांक 18 मई, 1999; तथा

(ख) मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-2-99-विक-पांच (52), दिनांक 11 मई, 1999

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नरेन्द्र भंवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित भोपाल का चौदहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(5) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री रसाल सिंह, सदस्य, नीमच स्थित लाहोरी भवन की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बृजमोहन अग्रवाल, कमल पटेल, सदस्य, दुर्ग, रायसेन एवं झाबुआ जिले में पुलिस प्रताड़ना से मौतें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, सदस्य, पन्ना जिले के गंगऊ वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र में उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(4) प्रो. गोपाल राम, सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम ललैया में काबिज भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, दतिया जिले के ग्राम बड़ोन कला में अवैध उत्खननकर्ता द्वारा ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के लोक निर्माण संभाग क्रमांक-एक के अधीन फर्जी कर्मचारियों को भुगतान किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री कंकर मुंजारे, बृजमोहन अग्रवाल, अनूप मिश्रा, सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम चूना पाथर में विषाक्त भोजन से अनेक आदिवासियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, भारत सिंह, मनोहर ऊंटवाल, सदस्य, रतलाम जिले की जावरा शुगर मिल द्वारा कृषकों को गन्ने का भुगतान न किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को धान बीज उपलब्ध न होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों का निजीकरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, मत्स्य विकास निगम का मत्स्य महासंघ में संविलियन के निर्णय का पालन न होने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी न मिलने से हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य, शिवपुरी जिले के अर्जुनवा सिंचाई योजना कार्य में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, भोपाल की भोज वेट लैण्ड परियोजना के अन्तर्गत जलीय वनस्पतियों के जैविक नियंत्रण कार्य में अनियमिततायें किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, रायपुर संभाग के अनेक ग्रामों में कटवा नामक कीट के प्रकोप से फसलों की क्षति होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, शासन द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई पंप हेतु अनुदान बंद किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री कंकर मुंजारे, महेश तिवारी, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, शासन द्वारा पेंच ताप विद्युत गृह एवं कोयला खदानें निजी कंपनी को सौंपने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, सरगुजा जिले के उत्तर, दक्षिण व पूर्वी वन मंडल अन्तर्गत तेंदूपत्ता श्रमिकों को भुगतान न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्रीमती विद्यावती पटेल, श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम दामोदरगढ़ में डकैती एवं अपहरण की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य, राजनांदगांव जिले में लूट की घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कंकर मुंजारे, ननकीराम कंवर, सदस्य, बिलासपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में संक्रामक रोगों से अनेक मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड के नाम पर हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर स्थित फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी में विसरा परीक्षण के हजारों प्रकरण लंबित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लेव्ही के कारण धान की खरीदी न होने की ओर राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम सिरारी विदान में दाहोद बांध की डूब भूमि पर काबिज आदिवासियों की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री महेश तिवारी, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, राजनांदगांव एवं कांकेर जिलों में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नरेन्द्र सिंह तोमर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर केन्द्रीय जेल में कैदियों की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, जगदलपुर जिले के ग्राम कटेनार में भूख से एक आदिवासी की मौत होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री रामलाल यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम मसवाड़िया धार में एक महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, सिहोरा तहसील की सेवा सहकारी समिति बुढ़ागर द्वारा फर्जी ऋण के माध्यम से शासकीय राशि की हेरा-फेरी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री विधान मिश्रा, सदस्य, महासमुन्द जिले के सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, बृजमोहन अग्रवाल , मुंशीलाल, सदस्य, लोकायुक्त के प्रतिवेदन में दोषी पाये जाने के बावजूद इंदौर के महापौर के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले में सीमेंट संयंत्रों हेतु आदिवासियों की भूमि क्रय करने में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, धरम कौशिक, सदस्य, दुर्ग जिले के भिलाई नगर से एक व्यापारी का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री मुंशीलाल, सदस्य, भोपाल नगर निगम में पदस्थ तत्कालीन आयुक्त एवं नगर निवेशक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य, लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, धमतरी जिले के मगरलोड विकासखण्ड के ग्रामों में अकाल की स्थिति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) चौधरी राकेश सिंह, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मदनगोपाल सिंह, सभापति, याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, षष्टम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

—4—

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम करचुलहा के पास उमड़ेर नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम फुलवारी से सलना तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत करेंगी.

6. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री रत्नेश सॉलोमन, वन मंत्री, दिनांक 5 जुलाई, 1999 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 344) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

7. संकल्प

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 65 के अन्तर्गत ऋण लेने की अधिकतम धन राशि रुपये 7000/- करोड़ (रुपये सात हजार करोड़) केवल शासन द्वारा नियत किये जाने के लिये अनुमोदन प्रदान करता है."

8. प्रतिवेदन पर चर्चा

3 घन्टे मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " सदन का यह मत है कि इंदिरा सागर परियोजना में डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने हेतु शासन कृषि उत्पाद पर आधारित औद्योगिक इकाई की स्थापना करे."

(2) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत समस्त इन्वेस्टमेन्ट एवं प्लान्टेशन कंपनियों, जिनमें प्रदेश के नागरिकों का पैसा लगा है, को तत्काल प्रतिबंधित किया जावे एवं निवेशकों की राशि तत्काल वापिस दिलायी जाए."

(3) श्री अजय विश्नोई, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में औषधि व्यय बाह्य रोगियों के लिये दस रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं आंतरिक रोगियों के लिये पचास रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा आंतरिक रोगियों के लिये भोजन खर्च बीस रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जावे."

(4) श्री महेश तिवारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " सदन का यह मत है कि शासन द्वारा प्रदेश में बायपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध करायी जाए ताकि इस हेतु शासन द्वारा किये जा रहे व्यय की बचत हो तथा नागरिकों को प्रदेश के भीतर ही इसका लाभ मिल सके."

(5) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. " सदन का यह मत है कि शासन द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों को कुआं/पंप पर मिलने वाली अनुदान राशि यथावत जारी रखी जाए."

भोपाल :
दिनांक : 14 जुलाई, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.